तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
23/4/24	दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता मूल आवेदन का जवाब एवं प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करने हेतु एक और अवसर चाह रहे है। जबकि पूर्व में पर्याप्त अवसर दिए जा चुके है,ऐसी सूरत में विप्रार्थी का मूल आवेदन का जवाब एवं प्रार्थना पत्र का जवाब बन्द किया जाता है। उभयपक्ष अधिवक्तों की प्रार्थना पत्र एवं मूल आवेदन पर अंतिम बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद में खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अनुतोष चाहा गया है,जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा कि प्रार्थीनी/वादीनी माफिक अनुतोष पाने की हकदार है अथवा नहीं। लेकिन विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य मौका स्थिति को लेकर विवाद आगे ओर नही बढे। इस कारण स्थगन आदेश को यथावत जारी रखा जाना उचित प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम द्रष्यता मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीनी के पक्ष में बनता है,क्योंकि विवादित आराजी का विधिवत निस्तारण नहीं होने तक यदि दौरांने विचारण वांद विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के बीच वाद–विवाद हो जाता है,तो प्रकरण को निस्तारण किए जाने में कानूनी पेचीदिगीया बढेगी तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्राथीर्नी के पक्ष में बनता है। ऐसी सूरत में स्थगन आदेश को यथावत रखा जाना न्यायसंगत प्रतीत लगता हैं। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है कि प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थीनी के पक्ष में बनते है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दिनांक 22.12.2023 को निरस्त किया जाता है तथा प्रार्थीनी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित होने के कारण न्यायांलय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 12.12.2023 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) [illegible]